

उपरवर्द्ध स्तरीय वन समिति की बैठक
का कार्यवाही विवरण -

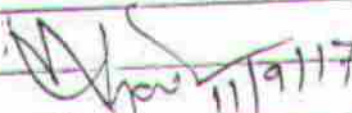
आज दिनांक 11/09/17 को उपरवर्द्ध
स्तरीय वन समिति की बैठक का आयोजन
किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (रानत)
राण्डवा, अनुविभागीय अधिकारी जल सहायक
उपरसमाग, श्रीकृष्णगौड़ तथा वन विभाग के
उपवन मण्डल अधिकारी राण्डवा (सामान्य)
उपस्थित हुए। बैठक में विकास खण्ड की 10 नं.
के ग्राम रोशिया के निकट स्थानीय माले पर
प्रस्तावित रोशिया लाकड़ योजना की मंजूरी
शासन जल सहायक विभाग द्वारा प्रशासनिक
स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक 122/24/नग/1
ख.सि/31/53, दिनांक 25-03-2017 के द्वारा
लागत रु. 338.30 लाख की 953 हेक्टर की
क्षेत्र के लिए उद्यान की गई है।
योजना के अन्तर्गत 26.44 हेक्टर
वन भूमि प्रभावित क्षेत्र पास गंगा है।
प्रभावित वन भूमि के सत्यापन हेतु वन-
विभाग एवं जल सहायक विभाग के
अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा दिनांक 19/07/17
को स्थल का समुच्चय निरीक्षण किया
जा चुका है। जिसमें मौके पर प्रभावित
वन भूमि का क्षेत्र 26.44 हेक्टर पास गंगा
योजना के अन्तर्गत प्रभावित 26.44 हेक्टर
वन भूमि जो गंगा पार गंगा नदी,

जन्माष्ट पंचायत देगोव-भोरवन, जिल्हा -
 दख्खन के ग्राम तोरनी के आरक्षित वन
 क्षेत्र रोशिया के कक्षा क्र. 05 में है। वनभूमी
 व्यापवर्तन के फलस्वरूप सुपादित किमे
 जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र में विकास
 की संभावना को देखते हुए ग्राम समिति के
 ग्राम पंचायत नावली द्वारा सहमति प्रदान
 की जा चुकी है।

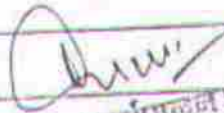
अतः उपर्युक्त स्तरीय वन समिति में
 निर्णय लिया गया की वन अधिकार अधिनियम
 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का
 वन अधिकार प्रत्येक प्रकार से लंबित नहीं
 है। व्यापवर्तन के लिए आवेदित वन भूमी
 के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
 अधिनियम परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी
 की मान्यता) अधिनियम 2006 के
 अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं
 का पालन पूर्ण कर लिया गया है। इस
 कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त

करती है।
 वही-एस.यादव

(7) 
 अनुविभागीय अधिकारी
 नल संसाधन क्र. 1 भीकनगाँव


 उप व.म.अ.
 प्रभुवा (समान्य)


 अनुविभागीय अधिकारी
 दख्खन (अ.प.)


 ग्राम पंचायत देगोव-भोरवन